मेरठ विकास प्राधिकरण

की

28वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 21-3-86

का

कार्यवृत्त

कार्यवृत्त का विवरण :-

मद संख्या-1

6-11-85 की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनाँक 6-11-85 का कार्यवृत्त प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या-2

6-11-85 की बैठक की कार्यवाही का अनुपालन।

2(8) श्री कुँबर फतेह बहादुर, संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग, उ०प्र० शासन ने यह अवगत कराया कि शासन द्वारा इस प्रकरण पर विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है। अस्तु शासन के निर्णय की प्रतीक्षा की जाये।

2(12) वास्तुविद नियोजक, विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि इस अनुपालन किया जा रहा है परन्तु इससे कुछ व्यवहारिक कठिनाईयाँ सामने आई हैं जिनके सम्बन्ध में अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

8(2) सचिव, विकास प्राधिकरण ने अवगत कराया कि प्रशनगत निर्माण फार्म हाऊस की श्रेणी में नहीं आता है। तदनुसार शासन से प्राप्त गाईड लाईन्स इस निर्माण पर कदाचित लागू नहीं होती। अत: प्रशनगत मामले को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० शासन, लखनऊ को तकनीकी जाँच हेतु भेजकर समायोजन के सन्दर्भ में निर्देश प्राप्त किया जाना उचित होगा। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ से इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिये जायें।

14(1) सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रकाश पुँज शिक्षा निकेतन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है । प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या-3

संशोधित बजट 85-86 तथा मूल बजट बर्ष 1986-87 की स्वीकृति।

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के समक्ष वित्तीय बर्ष 1985-86 का पुनरीक्षित आय-व्ययक तथा 1986-87 का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत किया गया । उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण का ध्यान बजट की कुछ विशिष्टियों की ओर आकर्षित करते हुए यह अवगत कराया कि बर्ष 1984-85 का वास्तविक बजट अंकन रुपये 272.78 लाख रुपये था जबकि बर्ष 1985-86 का बजट अंकन रुपये 902.78 था । इस प्रकार बर्ष 1984-85 के अनुपात में बर्ष 1985-86 के बजट में चार गुना वृद्धि प्रस्तावित की गयी है । अंकन 902.78 करोड रुपये के बजट में 4.5 करोड रुपये की राशि विभिन्न संस्थाओं से ऋण लेने के लिये प्रस्तावित की गयी थी जिसमें से एक करोड रुपये राज्य सरकार से, एक करोड रुपये एन० सी० आर० से, दो करोड रुपये हडको से तथा 50 लाख रुपये बैंक से लिया जाना प्रस्तावित था। प्राधिकरण द्वारा विशेष प्रयास करने पर प्राधिकरण की वर्तमान सभी आवासीय योजनाओं में हडको से लगभग एक करोड रुपये का ऋण प्राप्त हुआ । एन० सी० आर० तथा राज्य सरकार एवं बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ । इस प्रकार ऋण से आय केवल एक करोड रुपये हुई जबकि बजट में 4.5 करोड रुपये का प्राविधान किया गया था ।

प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से जो आय अर्जित की जानी थी वह अंकन 525.15 लाख रुपये प्रस्तावित थी जिसमें से माह फरवरी तक रुपये 654 लाख की आय सुनिश्चित कर ली गयी है अर्थात जो धनराशि 31 मार्च तक अर्जित की जानी थी वह माह फरवरी में ही पूर्ण कर ली गयी । इस प्रकार अर्जित स्रोतों से शत-प्रतिशत आय सुनिश्चित की गयी ।

बर्ष 1986-87 में आय का लक्ष्य अंकन रु० 1213.04 लाख निर्धारित किया गया है जिसमें ऋण से आय अंकन रु० 5.00 करोड प्रस्तावित है और शेष 7.51 करोड अपने स्रोतों से अर्जित करने का प्रस्ताव है । बर्ष 1986-87 का बजट बर्ष 1985-86 के बजट से 1.5 गुना अधिक है ।

बजट की समीक्षा के दौरान श्री वी०पी०शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि इस बढे हुए कार्य संचालन हेतु प्राधिकरण ने अतिरिक्त स्टाफ की क्या व्यवस्था की है । उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि प्राधिकरण की विभिन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार जो स्टाफ नियुक्त करने की स्वीकृति माँगी गयी है वह शासन से अभी प्राप्त नहीं हुई है । अत: इन पदों के विपरीत दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है । साथ ही कुछ सुयोग्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है । इन अनुभवी एवं योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को प्राधिकरण में लेने से प्राधिकरण के कार्य में विशेष प्रगति हुई है और प्राधिकरण के स्थाई स्टाफ को भी उनसे अनुभव एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है । प्राधिकरण ने सभी क्षेत्रों में कार्यो की बढोत्तरी में गुणवत्ता एवं गति बनाये रखने के उद्देश्य से इस व्यवस्था से सहमति व्यक्त की ।

बर्ष 1986 का बजट विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से पारित किया गया और सदस्यों ने प्राधिकरण द्वारा की गयी प्रगति एवं उपलब्धियों पर हर्ष एवं संतोष प्रकट किया ।

मद संख्या-4

प्राधिकरण की हापुड रोड योजना क्षेत्र का उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजना सं०-10 में हस्तान्तरण तथा उसके स्थान पर हापुड रोड पर बस स्टेन्ड हेतु 19 एकड भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।

उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के समक्ष इस प्रस्ताव को रखते हुए यह अवगत कराया कि बस स्टेन्ड हेतु जो 19 एकड भूमि प्राधिकरण द्वारा हापुड रोड योजना में अर्जित की गयी है वह अभी मौके पर खाली पडी है तथा इस स्थल का

आवास विकास द्वारा कोई उपयोग नहीं किया गया है । मास्टर प्लान में यह स्थल बस टर्मिनल हेतु दर्शाया गया है, सिद्धान्ततः जिसकी आवश्यकता स्वयं ही स्पष्ट है । अतः यदि इसे आवास विकास की योजना सं०-10 पर उपलब्ध भूमि से हस्तान्तरित कर लिया जाये तो हापुड रोड पर बस स्टेन्ड की व्यवस्था की जा सकती है । श्री वी० पी० शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद ने यह आपत्ति की कि मौके पर जगह-जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, अतः सम्भवतः 19 एकड भूमि उपलब्ध न हो । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आवास विकास एवं प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण कर लिया जाये और तत्पश्चात यह मामला शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये ।

मद संख्या-5

गढ रोड एवं परीक्षित गढ रोड को मिलाने वाले 120 फुट चौडे मार्ग के निर्माण की योजना ।

वास्तुविद नियोजक, विकास प्राधिकरण ने यह अवगत कराया कि प्रश्नगत स्थल पर निर्माण हो चुका है अतः सडक निकाला जाना सम्भव नहीं है । अस्तु इस मार्ग के निर्माण की योजना को निरस्त किया जाना ही व्यवहारिक होगा । श्री पी० के० गोयल, एशोसिएट प्लानर का यह मत था कि परीक्षित गढ रोड को मिलाने वाला कोई और लिंक मार्ग होना चाहिए । वास्तुविद नियोजक ने यह अवगत कराया कि सम्भवतः आवास एवं विकास परिषद की स्कीम नं०-1 और प्राधिकरण की प्रस्तावित विकास नगर योजना के बीच से एक लिंक मार्ग निकला जा सकता है । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यथाशीघ्र इस लिंक मार्ग के निर्माण हेतु सर्वेक्षण करा **लिया जाये तथा** तदनुसार कार्यवाही की जाये । उक्तानुसार प्राधिकरण ने प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या-6

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजना सं०-1 की भूमि के भू-उपयोग का व्यवसायिक से आवासीय में परिवर्तन ।

विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी ।

मद संख्या-7

मेरठ - दिल्ली बाईपास मार्ग पर ग्राम बराल परतापुर सुन्दरापुर उर्फ पूठा, मलियाना व डुगरावली में प्रस्तावित औद्योगिक आस्थान।

विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी ।

मद संख्या-8

बिल्टअप क्षेत्र में भूखण्ड के आच्छादन का निर्धारण।

विचारोपरान्त यह निर्देश दिये गये कि अन्य विकास प्राधिकरणों में विल्ट अप क्षेत्र के विषय में क्या नीति अपनायी जा रही है, यह ज्ञात कर लिया जाये । इसके अतिरिक्त मेरठ की प्रभावित बस्तियों का भी प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण कराकर आगामी बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाये ।

मद संख्या-9

ग्राम पीलना सोफीपुर के भूखण्डों का भूउपयोग परिवर्तन तथा भूमि के अर्जन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि स्टेशन हैड-क्वाटर्स, मेरठ से स्थिति ज्ञात कर तदनुसार शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये । यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में अनाधिकृत निर्माणों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाये ।

मद संख्या - 10

दुर्बल आय वर्ग के भवनों हेतु हडको से ऋण प्राप्ति का संकल्प।

विचारोपरान्त संकल्प ले लिया गया ।

मद संख्या - 11

उ०प्र० सहकारी आवास संघ लि०, लखनऊ की सदस्यता पर विचार।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी ।

मद संख्या-12

अन्य बिषय

(1) प्रस्ताव

एल०आई०सी० साकेत रोड पर प्राधिकरण की बाग मदरसा में प्रस्तावित योजना का नाम "विराट नगर" रखे जाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(2) प्रस्ताव

मेरठ विकास प्राधिकरण की गढ रोड पर ग्राम औरंगाशाहपुर डिग्गी की भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना का नाम "हर्ष नगर" रखे जाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

(3) प्रस्ताव

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित पल्लवपुरम आवासीय योजना में पानी की निकासी हेतु नाले के निर्माणार्थ भूमि का अर्जन प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा हैं चूँकि वहाँ पर अनाधिकृत विकास होने की सम्भावना है, अत: इसके आर्थिक पहलू को दृष्टिगत रखते हुए नाले हेतु व उसके समीप की भूमि का अर्जन करना अनिवार्य है । अत: प्रशनगत भूमि का अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत है । (मानचित्र पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।)

निर्णय

अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(4) प्रस्ताव

पल्लवपुरम आवासीय योजना में हास्पिटल के लिये भूमि आबंटित किये जाने हेतु यूनाईटेड हैल्थ केयर लि०, नई दिल्ली द्वारा अभ्यर्थना की गयी है। चूँकि उपर्युक्त योजना बहुत वृहद है, अतः उक्त संस्था को भूमि दिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

यूनाईटेड हैल्थ केयर लि० को भूमि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह भी निर्देश दिये गये कि इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

(5) प्रस्ताव

पल्लवपुरम आवासीय योजना में विकास एवं निर्माण कार्य को दो चरणों में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण का कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है। द्वितीय चरण की प्रशनगत भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च्तम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। जो भूमि विवादरहित है उस तक पहुँचने के लिये बीच-बीच में विवादग्रस्त भूमि के आ जाने से योजना के कार्यान्वियन में कठिनाई आ रही है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के कुछ भूधारकों ने प्राधरिण कार्यालय में इस आशय से सम्पर्क किया है कि यदि प्राधिकरण उन्हें अर्जित की जाने वाली भूमि के बदले में अपनी योजना में अन्यत्र कुछ भूमि उपलब्ध करा दें और अवशेष भूमि का नियमानुसार उन्हें प्रतिकर दे दिया जाये तो वे अपनी भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दे देंगे। सम्बन्धित भू-धारकों ने कोई लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया हैं अतः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि प्रभावित भूस्वामी सम्बन्धित न्यायालयों से अपने मुकदमें वापस ले लेते हैं और तत्पश्चात निगोशिएशन हेतु आवेदन करते हैं तो उस पर प्राधिकरण के हित को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाये।

(6) प्रस्ताव

इंस्टीटयूट आफ प्रोडेक्टिविटी एण्ड मैनेजमैंट संस्थान कृष्णानगर, रुडकी रोड, मेरठ द्वारा पल्लवपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत बाँछित भूमि को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-6402/पी०ए०-1986 दिनाँक 14 मार्च, 1986 के अनुपालन में उक्त संस्थान द्वारा बाँछित 10 हजार से 20 हजार वर्गमीटर भूमि पल्लवपुरम आवासीय योजना के एक्सटेंशन क्षेत्र में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

प्राधिकरण द्वारा यह निर्देश दिये गये कि संस्थान को भूमि का आवश्यकता के औचित्य का विवरण प्रस्तुत करने हेतु संदर्भित किया जाये तदोपरान्त आगामी बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जाये ।

(7) प्रस्ताव

उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण को यह अवगत कराया कि कार्य बढ जाने के कारण कम्प्यूटर की सेवाओं की भी आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

निर्णय

विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सिद्धान्ततः प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि किसी एक एजेन्सी विशेष से कार्य न कराकर कम्पीटीशन के आधार पर कार्य कराया जाये और कृत कार्यवाही की उपयोगिता को दृष्टिगत रखा जाये ।

ह०/-
(बी०के० गोस्वामी)
अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।

24-4-86

प्रमाणित किया जाता है कि यह कार्यवृत्त अध्यक्ष द्वारा दिनाँक 24-4-86 को अनुमोदिन कार्यवृत्त के प्रारुप का अक्षरशः विवरण है ।

ह० /-

(दुर्गेश जोशी)

सचिव

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 21-3-86

समय : पूर्वान्ह 11-30 बजे

स्थान : विकास भवन, "सभा कक्ष"

उपस्थिति :

1-	श्री वी० के० गोस्वामी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2-	श्री सुरेश चन्द्र रस्तोगी	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री एल० आर० सिंह	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4-	श्री कुँवर फतेह बहादुर सिंह	संयुक्त सचिव, आवास	सदस्य
5-	श्री विश्वपति शर्मा	अधी० अभि०, आवास विकास परिषद	सदस्य
6-	श्री जे० ए० जोशी	अधी० अभि० उ० प्र० जलनिगम प्रथम मण्डल।	सदस्य

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित रहे -

1- श्री दुर्गेश जोशी, सचिव, विकास प्राधिकरण, मेरठ।

2- श्री एस० सी० माथुर, सं० सचिव

3- श्री जे० पी० जैन, अधिशासी अभियन्ता

4- श्री आर० एन० शर्मा, अधिशासी अभियन्ता

5- श्री सन्तोष कुमार, मुख्य लेखाधिकारी

6- श्री जागेश कुमार, वास्तुविद नियोजक

7- श्री यशपाल सिंह, सहायक वास्तुविद